



UPMH010028462026

न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, महाराजगंज

पीठासीन अधिकारी-ज्ञानेन्द्र राव, (एच0जे0एस0)-UP 6492

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-840 / 2026

आमोद राठौर उम्र 57 वर्ष पुत्र राजाराम राठौर।

निवासी सीतापुर रोड, सरस्वतीपुरम 60 फीटा रोड, राठौर लेन, जानकीपुरम विस्तार
जिला लखनऊ।

.....आवेदक / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

.....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या-157 / 2026

धारा-318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),61(2)ए,61(2)बी

भारतीय न्याय संहिता

थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 3क

28.07.2026

01- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक / अभियुक्त आमोद राठौर द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-157 / 2026 धारा-318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),61(2)ए,61(2)बी भारतीय न्याय संहिता थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज में जमानत हेतु संस्थित किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है।

02- अभियोजन पक्ष का केस है कि वादी मुकदमा निर्भय कुमार मद्धेशिया की ओर से थाना निचलौल में इस आशय की तहरीर दी गई कि वह ग्राम जमुईकला, थाना दूठीबारी, जिला महाराजगंज का निवासी है। वह दिनांक 21.10.2025 को एक निमंत्रण में सम्मिलित होने हेतु अपने पिता जी के साथ बेचई पुत्र राजमन जी के घर पिपराकाजी, थाना निचलौल, जिला महाराजगंज गया था, उसी आयोजन में मुकेश चौधरी पुत्र खुशिहाल चौधरी, साकिन औराटार, टोला पकड़ी अहवा, थाना निचलौल, जिला महाराजगंज भी आये हुए थे, उसके अलावा तथा वहाँ पर उपस्थित बेचई जी के दामाद विनोद चौधरी पुत्र रामरूप चौधरी एवं उनकी लड़की सोनमती चौधरी पत्नी विनोद चौधरी व दिलीप कुमार पुत्र रामशंकर, साकिन सैल्दह उर्फ कवलदह, थाना पुरन्दरपुर, जिला महाराजगंज सभी लोगों से मुकेश चौधरी ने कहा कि आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार हैं अगर आप लोग तैयार हैं तो वह अपने कुछ साथियों से उन लोगों की नौकरी के सम्बन्ध में बात करे, वे लोग लखनऊ में रहते हैं, जो आप लोगों

को सरकारी ट्रेनिंग दिलाकर सरकारी जगहों पर नौकरी दिला देंगे। फिर मुकेश ने अपने मोबाईल नम्बर-9721766883 से किसी नम्बर पर मिलाया और राजचन्दा उर्फ अजीत पुत्र संतराज, साकिन बड़हलगंज कोइली बाल, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर मोबाईल नम्बर 9795305903, 9335522362 अराधना कुमारी पत्नी कुलदीप, कुलदीप पुत्र विजय प्रकाश, साकिन 215, नरेन्द्रनगर, उन्नाव, थाना कोतवाली, जिला उन्नाव मोबाईल नम्बर 7985179080 एवं वर्तमान पता-मोहनलाल 6/36 दीन दयालपुरम, तकरोही, इन्दिरानगर, लखनऊ, मोबाईल नम्बर 7752826153 आमोद राठौर पुत्र अज्ञात साकिन सीतापुर रोड़ जानकीपुरम लखनऊ, पिनकोड 226031 मोबाईल नम्बर 9455932532 उपरोक्त लोगों से बात करने लगा जिसमें उपरोक्त लोग कह रहे थे कि आप लोगों से मुकेश जैसा कह रहे हैं वैसा करिए और पैसे की व्यवस्था के साथ लखनऊ आये, वह लोग इन लोगों को सरकारी ट्रेनिंग दिलवाकर सरकारी नौकरी दिलवा देंगे, मुकेश द्वारा बड़ी ही चतुराई से उससे एवं रीना चौधरी, विनोद चौधरी, सोनमती चौधरी एवं दिलीप कुमार से सरकारी नौकरी के के नाम पर झांसा देने के उद्देश्य से चिकनी-चुपड़ी बातें करते हुए 05 लाख रुपये प्रति व्यक्ति की मांग की गयी। मुकेश व उनके सहयोगी मित्रों के छलावें में आकर रीना चौधरी, विनोद चौधरी एवं रीना के पिता ने दिनांक 12.11.2025 को रीना के पिता द्वारा 02 लाख रुपये एवं विनोद के द्वारा अपनी एवं अपनी पत्नी सोनमती के लिए 02 लाख रुपये मदनपुरा पेट्रोल पम्प के पास दिया गया। मुकेश व उनके सहयोगी मित्रों द्वारा रीना चौधरी एवं विनोद चौधरी से यह कहा गया कि आप लोग 18.11.2025 को सुबह 03 बजे के आस-पास तैयार रहियेगा, मुकेश आप लोगों को गाड़ी से लेने जायेंगे। दिनांक 18.11.2025 को सुबह 03.00 बजे भोर में वाहन संख्या यूपी-56बीए-5632 से मुकेश, रीना व विनोद को लेकर लखनऊ गये वहाँ श्रीरामकृष्ण गेस्ट हाउस, हजरतगंज लखनऊ में रुके और अपने सहयोगी मित्रगण राजचन्द्रा, अराधना, कुलदीप एवं आमोद राठौर के आफिस पर ले गये, जहाँ पर रीना व विनोद का फर्जी परीक्षा और इण्टरव्यू लिया उपरोक्त लोगों द्वारा खुद ही इण्टरव्यू लिये और खुद ही पास कर दिये, रीना और विनोद को आफर लेटर एकनालेजमेन्ट एवं आईडी कार्ड दिया गया और रीना और विनोद से 02-02 लाख रुपये लिया गया और शेष रुपये के लिए व्यवस्था करने की बात कही गयी और झूठे ट्रेनिंग के लिए पुनः बुलाया गया। इसी बीच मुकेश द्वारा प्रार्थी एवं दिलीप को भी बार-बार कहा जाने लगा कि आप लोग पैसे की व्यवस्था नहीं किए आप लोग ट्रेनिंग के लिए कब तक जायेंगे। रीना और विनोद का पैसा जमा हो गया है आप लोग भी पैसा जमा करियें, आप लोगों के लिए बढ़िया आफर है उसके सहयोगी मित्रगण राजचन्द्रा, कुलदीप, आराधना निचलौल में दिनांक 28.12.2025 को आ रहे हैं आप लोग पैसे के साथ आ जाइए। मुकेश की बातों में आकर वादी मुकदमा अपने पिता के साथ तथा दिलीप अपने माता जी के साथ निचलौल आया और वादी मुकदमा और दिलीप, मुकेश एवं उनके सहयोगियों को क्रमशः को 01 लाख रुपये, 02 लाख रुपये नकद दिया। उपरोक्त लोगों द्वारा यह कहा गया कि शेष पैसे के साथ आप लखनऊ आफिस पर आइये। वादी मुकदमा दिनांक 19.01.2026 को अपने पिता के साथ लखनऊ पहुंचा जहाँ पर 02 लाख रुपये राजचन्द्रा, आराधना, कुलदीप, आमोद को उनके आफिस में दिया, वहाँ पर पहले से उपस्थित रीना चौधरी एवं विनोद चौधरी के समक्ष रूपया दिया गया और उसी दिन वादी मुकदमा का झूठा, मनगढ़त, कूटरचित, मुकेश वगैरह द्वारा परीक्षा एवं

इण्टरव्यू लिया गया एवं स्वयं वादी मुकदमा को भी पास कर दिया गया और कूटरचित आफर लेटर एकनालेजमेन्ट लेटर एवं आईडी कार्ड दिया गया और ट्रेनिंग शुरू कर दी गयी। इसी तरह दिलीप का भी झूठा, मनगढ़त एवं कूटरचित इण्टरव्यू लेकर कूटरचित एकनालेजमेन्ट एवं आफर लेटर दिया गया और ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गयी। उपरोक्त लोगों ने रीना और विनोद को पहले ही आमोद राठौर के सी.एस.सी. बिल्डिंग पुराना हाईकोर्ट कैसरबाग, लखनऊ के कार्यालय पर बुला लिया था, जहाँ पर आमोद राठौर, आराधना, कुलदीप एवं राजचन्द्रा, रीना को कम्प्यूटर आपरेटर एवं विनोद को सब स्टाफ पद के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दिये और कहें कि उन लोगों को जल्द ही सर्टिफिकेट मिल जायेगा और उन लोगों को वे लोग सरकारी नौकरी दिला देंगे इसी बीच विनोद की पत्नी सोनमती भी दिनांक 30.01.2026 को अटेण्डर पद के लिए उपरोक्त लोगों द्वारा झूठा परीक्षा एवं इण्टरव्यू लिया गया जिससे उपरोक्त लोगों द्वारा सोनमती को पास करते हुए, आफर लेटर एकनालेजमेन्ट एवं आईडी कार्ड स्वयं कूटरचित तरीके से बनाते हुए दिया गया। वादी मुकदमा एवं विनोद चौधरी, रीना चौधरी एवं सोनमती, दिलीप कुमार से मुकेश चौधरी व उनके सहयोगी मित्रगण द्वारा जरिए आनलाईन रुपये भी निम्न-निम्न तिथियों में बैंक खाता नम्बर 43718720505 खाता नेम-बाल कृष्ण यादव के खाता में 1,00,000/-रुपये भेजा गया और राजचन्द्रा मोबाईल नम्बर 9795305903 पर स्कैनर के माध्यम से 50,000/-रुपये भेज गया और अराधना के मोबाईल नम्बर 7752826153 में स्कैनर के माध्यम से 40,000/-रुपये भेजा गया, कुल जिसमें वादी मुकदमा ने 1,90,000/-रुपया दिया एवं रीना ने 50,000/-रुपये, विनोद ने 55,000/-रुपया, दिलीप ने 1,17,000/-रुपया आनलाईन दिया। मुकेश एवं उनके सहयोगी मित्रगण द्वारा वादी मुकदमा एवं उसके साथ ट्रेनिंग दे रहे रीना, विनोद, दिलीप एवं सोनमती द्वारा उपरोक्त शेष रुपये जो बचे हुए थे आनलाईन अपने खाते में मंगाने के बाद वादी मुकदमा एवं उनके साथ ट्रेनिंग दे रहे रीना, विनोद, दिलीप एवं सोनमती को शक हुआ कि मुकेश चौधरी एवं उनके सहयोगी राजचन्द्रा, कुलदीप, आराधना एवं आमोद राठौर द्वारा वादी मुकदमा एवं उनके साथ ट्रेनिंग दे रहे रीना, विनोद, दिलीप एवं सोनमती से जो आनलाईन रुपये लिए गये वह जिस मोबाइल नम्बर पर लिया जा रहा था उसमें उसका बैंकिंग नाम नहीं था और खाता भी नहीं था, खाता किसी दूसरे व्यक्ति बालकृष्ण यादव का लिखा था, वादी मुकदमा एवं उसके साथ ट्रेनिंग दे रहे रीना, विनोद, दिलीप एवं सोनमती ने जब राजचन्द्रा एवं कुलदीप, आमोद राठौर, आराधना से पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो उपरोक्त लोगों द्वारा कहा गया कि वे लोग अपने काम से मतलब रखे, उनका पैसा कहां जा रहा है उससे क्या मतलब। रीना को राजचन्द्रा एवं उनके सहयोगी द्वारा एक किराये के मकान में रखा गया था जहाँ उपर उसके साथ आराधना, बबिता, कुलदीप थे, आराधना को जब भी रुपये की जरूरत होती थी तो राजचन्द्रा से कहकर आफिस खर्च एवं पर्सनल खर्च के नाम पर रीना के मोबाइल पर मंगाती थी और रीना से बैंक भेजकर उसे निकलवा लेती थी, दिनांक 18.02.2026 को अराधना की मैरेज एनवर्सरी थी, उसी में राजचन्द्रा को कुलदीप ने बुलाया था काफी रात हो जाने के बाद कुलदीप ने राजचन्द्रा को रोक लिया वादी मुकदमा एवं वादी मुकदमा के साथ ट्रेनिंग दे रहे रीना चौधरी, विनोद, दिलीप एवं सोनमती सभी लोगों के ट्रेनिंग दिनांक 26.02.2026 को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि वे सभी लोग घर जाये उन लोगों को जल्द ही सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर मिल जायेगा उन लोगों को कहीं कुछ देना

नहीं है और सभी लोग अपने-अपने घर चले आये और ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद वादी मुकदमा, रीना, विनोद चौधरी दिलीप एवं सोनमती ने कई बार मुकेश व उनके सहयोगी मित्रों द्वारा फोन किया गया तो उन लोगों द्वारा बताया गया कि उन लोगों को उपभोक्ता फोरम महाराजगंज एवं सिद्धार्थनगर में ज्वाइनिंग कराया जायेगा, वादी मुकदमा उपभोक्ता फोरम में आकर पता किया तो, ऐसी कोई पोस्ट रिक्त नहीं थी ना ही कोई वैकेन्सी ही थी, वादी मुकदमा एवं रीना, विनोद चौधरी दिलीप एवं सोनमती सभी लोग घबरा गये और राजचन्द्रा वगैरह के पास फोन द्वारा पूछा बोला और आप लोगों ने धोखे से पैसा क्यों लिया, तो राजचन्द्रा व उनके सहयोगीगण द्वारा पूछा की आप लोगों ने झूठ क्यों बोले तो वे लोग आग बबूला हो गये और वादी मुकदमा एवं रीना, विनोद चौधरी दिलीप एवं सोनमती को माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुए कहा कि दोबारा फोन किए और रुपया मांगे तो उन लोगों को जान से मार कर खत्म कर दिया जायेगा, वे लोग उन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पायेंगे और ज्यादा फोन किए एवं कहीं कोई दरखास्त दिए तो उन लोगों को तबाह एवं बर्बाद कर देंगे। उक्त लोगों के कृत्य को देख कर रीना फफक कर रोने लगी और सभी लोगों उपरोक्त आप बीती बतायी कि उनकी नौकरी भी गई, पैसा भी गया और इज्जत भी ले लिए। वादी मुकदमा एवं रीना, विनोद चौधरी दिलीप एवं सोनमती ने पुनः राजचन्द्रा व उनके सहयोगियों को फोन किया तो राजचन्द्रा एवं उनके सहयोगियों द्वारा जान से मारने की धमकी एवं टेक्स्ट मैसेज एवं वायस मैसेज द्वारा वादी मुकदमा एवं रीना, विनोद चौधरी दिलीप एवं सोनमती के मोबाइल पर भेजा जाने लगा। वादी मुकदमा ने लिखित तहरीर थाने पर दिया था कोई कार्यवाही नहीं हुई थी, पुनः थाना निचलौल में सूचना देकर मुल्जिमानों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की याचना की गई।

03—आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कि उसके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। उसका उपरोक्त अपराध से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। अभियुक्त को वादी मुकदमा ने पुलिस से सांठ गांठ करके फर्जी तरीके से फंसाया गया है बल्कि अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध पूर्णतया निराधार एवं असत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना दिनांक 12.11.2025 की है और प्रथम सूचना रिपोर्ट को सात माह विलम्ब से लिखायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा एक सोची समझी साजिस के तहत लिखायी गयी है। अभियुक्त के द्वारा कथित अपराध कार्ड बैंड नहीं किया है तथा अभियुक्त ने कोई भी दस्तावेज न तो तैयार किया है और न ही किसी दस्तावेज पर अभियुक्त के हस्ताक्षर ही है और न ही अभियुक्त के द्वारा कोई भी पैसे का लेन देन ही किया है। अभियुक्त का कोई भी वास्ता व सरोकार सह अभियुक्तों में नहीं है और न ही सह-अभियुक्तों को जानता है और न ही पहचानता है और न ही उपरोक्त अपराध में कोई भी भूमिका किसी भी प्रकार की अदा की है। अभियुक्त को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि दिनांक 12.11.2025 को कोई भी रुपया दो-दो लाख किस व्यक्ति की दिया गया है और किस समय दिया गया और किस तारीख को दिया गया है। अभियुक्त ने सरकारी नौकरी के सिलसिले में कोई भी बातचीत नहीं किया है और न किसी भी तरह का कोई आफर लेटर इण्टरव्यू लिया है। अभियुक्त के द्वारा कोई भी दस्तावेज हस्ताक्षरयुक्त नहीं है और न ही अभियुक्त के

विरुद्ध पैसा लेने व ट्रेनिंग कराना या आनलाईन भुगतान प्राप्त करना ही बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त के द्वारा रूपया लेने का आरोप नहीं लगाया गया है और न ही ट्रेनिंग देने अथवा कोई अपराध में शामिल होने का जिक्र नहीं किया गया है। अभियुक्त पेशे से अधिवक्ता है तथा चैम्बर का नाम पता व मोबाईल नम्बर और कई संस्थाओं का पदाधिकारी है, इसलिए सभी जगहों पर लोगों को आसानी से नाम, चैम्बर व निवास का पता ज्ञात हो सकता है। अभियुक्त का, सह-अभियुक्तों से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है और न ही उनको जानता है और न ही पहचानता है। अभियुक्त पर लगाया गया आरोप सन्देहास्पद है तथा कथित अपराध अभियुक्त पर नहीं बनता है। अभियुक्त एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है तथा कानून का पालन करने वाला नागरिक है। अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है। अभियुक्त का पूर्व में कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त दिनांक 13.06.2026 को पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला कारागार महाराजगंज में निरुद कर रखा है। अन्तर्गत धारा-340(2),352,351 भारतीय न्याय संहिता जमानतीय अपराध है एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अन्तर्गत धारा-318(4),336(3) भारतीय न्याय संहिता में अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्राविधान है एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अन्तर्गत धारा-338 भारतीय न्याय संहिता प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त के द्वारा कोई भी दस्तावेज जारी नहीं किया है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है और न ही अपराध कारित किया है। निवेदन किया गया है कि उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

04—अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा व अन्य लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लिया और उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनका फर्जी प्रशिक्षण कराया गया और पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दिया गया। अभियुक्त के द्वारा घोर अपराध किया गया है तथा जमानत से रिहा होने पर अभियुक्त द्वारा उसी अपराध में संलिप्तता पाए जाने की संभावना है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

05—मेरे द्वारा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा थाने की आख्या एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

06—उभयपक्ष के तर्कों को सुनने के पश्चात केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर कर वादी मुकदमा व अन्य लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाने के नाम पर एकनालेजमेन्ट, आई.डी. कार्ड, ऑफर लेटर, कूटरचित करके जारी किया गया है। वादी मुकदमा व उसके अन्य साथियों द्वारा जो पैसा उन्हें दिया गया है उसकी स्क्रीन शॉट रसीद भी दाखिल किया गया है। साथ ही साथ बैंक स्टेटमेन्ट की छायाप्रति दाखिल किया गया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा अपने खाते में पैसे का भुगतान किया गया है। वादी मुकदमा व उसके अन्य साथियों के साथ अभियुक्त तथा सह अभियुक्तगण के फोटोग्राफ पत्रावली पर मौजूद है साथ ही साथ उनके द्वारा कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एण्ड राईट काउंसिल द्वारा जारी फर्जी प्रमाण पत्र पर उनके हस्ताक्षर मौजूद है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से

वादी मुकदमा व उसके अन्य साथियों के साथ पैसा लेकर कूटरचना करके उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र, आई.डी. कार्ड, प्रमाण पत्र व एकनालेजमेन्ट देकर उनके साथ छल कपट किया गया है और पैसा वापस मांगने पर गाली गुप्ता व जान से मारने की धमकी दी गई है। अभियुक्त द्वारा अपने अन्य सह अभियुक्तों से मिलकर बेरोजगार युवकों को उनकी बेरोजगारी व परेशानी का लाभ उठाते हुए उनके साथ छल करते हुए फर्जी दस्तावेज बनाकर सुनियोजित एवं संगठित तरीके से धन वसूला गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो निश्चित ही व साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा और वादी मुकदमा को डरायेगा और धमकायेगा। अतः मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

07—आवेदक/अभियुक्त आमोद राठौर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या—157 / 2026 धारा—318(4),338,336(3),340(2),352,351(3),61(2)ए,61(2)बी भारतीय न्याय संहिता, थाना निचलौल, जनपद महाराजगंज में निरस्त किया जाता है।

दिनांक: 28.07.2026

(ज्ञानेन्द्र राव)
जे0ओ0 कोड यू0पी0 6294
अपर सेशन न्यायाधीश
कोर्ट संख्या—02, महाराजगंज।